रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

नीति

विषय: केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर काम करने के निमित्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गाइड़ों के लिए नीति

फा. सं. 33/35/2015-एम (भाग-1)- केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर मौद्रिक प्रयोजनों के लिए काम करने के निमित्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 8 (घ) के तहत अपेक्षित लाइसेंसों को विनियमित करने और प्रशासित करने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस विषय पर नीति तैयार की जाती है, जो इस प्रकार है : -

प्रस्तावना और उद्देश्य

पुरातत्वीय शोधों और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक अग्रणी संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का अनुरक्षण करना है। इसके अलावा, यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 और नियमावली 1959 के प्रावधानों तथा उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार देश के सभी पुरातत्वीय कार्यकलापों को विनियमित करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने 29 मंडलों और 3 लघु मंडलो के जरिए 3686 प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को प्रशासित करता है और उनकी देख-रेख करता है। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का अभिरक्षक होने और संरक्षित स्मारकों से संबंधित सभी मामलों को देखने के प्रति जिम्मेदार होने के नाते, भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण को कार्रवाई करने का अधिदेश प्राप्त है, ताकि सभी कार्य प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप किए जाएं।

गाइड के कार्यों में पर्यटकों, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों जैसे सामान्य व्यक्तियों जिन्हें अपने पसंदीदा स्थान पर घूमने से पूर्व या घूमते समय विभिन्न प्रकार की सूचना चाहिए होती है, के बीच हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी का प्रचार – प्रसार करना शामिल होता है। प्राप्त अथवा एकत्र की गई सूचना की सहायता से अर्जित अनुभव, व्यक्ति विशेष की जानकारी में इज़ाफा करता है, उन्हें पहले से ही योजना बनाने में मदद करता है और पर्यटक स्थलों पर उनके ठहरने को आसान बनाता है जिससे यात्रा पूरी तरह से एक खूबसूरत यादगार बन जाती है।

पर्यटकों को राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में विस्तृत और प्रामाणिक सूचना के अलावा आवास, परिवहन, रूचिकर स्थलों, बाजार, चिकित्सा उपचार, हेल्पलाइन, अन्य कार्यालय आदि जैसे विषयों पर स्पष्ट जानकारी की जरूरत हो सकती है। संकेतक, प्रकाशित साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब दुनिया आदि विभिन्न विषयों पर सूचना से भरे पड़े हैं लेकिन आखिरकार इनकी अपनी सीमाएं हैं। विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के बावजूद, हर कोई अपने जीवनकाल में अपने पसंदीदा स्थान में घूमना चाहता है। विरासत स्थल में भ्रमण करते समय, पर्यटक को प्रामाणिक सूचना की आवश्यकता होती है, जिसे बताने के लिए एक गाइड ही सर्वोत्तम साधन है जो पर्यटकों को स्थल पर ही उनकी रूचि और अपेक्षानुसार तथा उनके प्रश्नों के अनुरूप सूचना प्रदान कर सकता है। आपसी बातचीत ही सूचना के प्रसार का सर्वोत्तम माध्यम है। जहां तक केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का संबंध है, गाइड अपनी जानकारी और अनुभव से सटीक और तथ्यपरक सूचना दे पाने में अहम भूमिका निभाएगा, ताकि पर्यटकों, को वृहत परिप्रेक्ष्य में, स्मारक में घूमते समय सुखद अनुभूति हो।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित/ प्रबंधित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में, पर्यटकों से कुछ शुल्क लेकर गाइड संबंधी कार्य किया जाना, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अधीन आता है।

नियम 8 में स्मारक अथवा स्थल के भीतर कुछेक कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। उपर्यक्त नियमों के उप नियम 8 (घ) में केंद्रीय संरक्षित स्मारक के परिसर में कुछ शुल्क लगाकर गाइड के कार्य के लिए नामित प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा निर्दिष्ट की गई है।

नियम 8 (घ)

"पुरातत्व अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस अथवा उसके अधीन और विहित शर्तों के बिना किसी सामान अथवा वस्तु की फेरी लगाना अथवा विक्रय अथवा ऐसी वस्तु या सामान की परिपाटी का प्रचार अथवा किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन अथवा आर्थिक लाभ के लिए आगंतुक को घुमाना अथवा उसका फोटो लेना निषिद्ध है।"

वर्तमान में, उपर्युक्त नियम स्थिति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वयनाधीन है और इस नीति दस्तावेज के प्रयोजनार्थ प्रयोज्य होगी।

इसके अतिरिक्त, गाइड लाइसेंस जारी करने और उससे संबंधित कार्यों को सहज बनाने के लिए अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 21.01.2003 के सा. आ. 73 (अ) की अधिसूचना के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें जारी करने, गाइड लाइसेंसों को जारी करने, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों में कार्य करने के प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के जरिए चयनित पात्र व्यक्तियों को अनुमोदन देने और उनका पंजीकरण करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

यह कि उक्त प्रत्यायोजन वापिस लिया जा रहा है।

2. प्रयोजन और प्रभाव

2.1 यह कि अब से गाइडों की केवल एक ही श्रेणी होगी, जिसे " भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक गाइड" के नाम से जाना जाएगा और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित / प्रबंधित उस केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होगा, जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है। यह नीति केवल उन्हीं गाइडों पर लागू होगी जिन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 8 (घ) के तहत यथापेक्षित विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा दिए गए वैध लाइसेंस प्राप्त होने पर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित / प्रबंधित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

2.2 प्रत्येक स्मारक अथवा स्मारक समूह के लिए पर्यटक गाइडों की संख्या का मूल्यांकन वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या, संवृद्धि की संभाव्यता, स्मारकों/स्मारक समूहों के विस्तार और आकार के आधार पर निर्धारित होगा। यह प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में की जाएगी।

2.3 यह लाइसेंस चयन की निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात केवल व्यक्ति विशेष को ही प्रदान किया जाएगा, न कि किसी फर्म अथवा संगठन अथवा कंपनी अथवा अन्य किसी निगम निकाय को।

2.4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परीक्षा कराने और लाइसेंस प्रदान करने हेतु तंत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। जहां तक केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर काम करने वाले स्मारक गाइडों का संबंध है, इस नीति के अंतर्गत कराई जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए गाइडों की विभिन्न श्रेणियां ही, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर कार्य करने की पात्र होंगी।

2.5 यह नीति, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फतेहपुर सीकरी में कार्य कर रहे गाइडों को दिए गए सभी लाइसेंसो को स्वीकार करेगी और उन्हें तब तक इसी नीति के अंतर्गत प्रदान किया हुआ माना जाएगा जब तक कि इन गाइडों को वर्तमान नीति के अनुसार नए लाइसेंस जारी नहीं कर दिए जाते, जो इस नीति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए।

इसी प्रकार, अपर महानिदेशक, पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय, (भारत सरकार) द्वारा दिए गए सभी लाइसेसों को स्वीकार किया जाएगा और इस नीति के अंतर्गत तब तक जारी हुआ माना जाएगा जब तक कि इन गाइडों को वर्तमान नीति के अनुसार नए लाइसेंस जारी नहीं कर दिए जाते, जो इस नीति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए।

बशर्ते कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य परीक्षा संचालित करवायेगा ।

2.6 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित/प्रबंधित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/ स्थलों के भीतर वहीं व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त गाइडों के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे, जिन्हें वर्तमान नीति के अंतर्गत लाइसेंस जारी किए गए हैं अथवा जिन्हें खंड 2.5 के अधीन, उसके तहत बनाए गए प्रावधानों के अध्यधीन लाइसेंस प्रदान किया हुआ माना गया है।

2.7 खंड 2.5 के अध्यधीन, वर्तमान नीति के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिए गए लाइसेंसो को जारी करने पर और जारी करने के पश्चात, किसी भी अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी लाइसेंस अवैध हो जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित/ प्रबंधित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों अथवा स्मारकों और स्थलों में गाइड के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।

2.8 प्रवृत्त होने की तारीख : - यह नीति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित होने की तारीख को प्रवृत्त होगी। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

3. चयन हेतु मानदंड

3.1 शैक्षिक योग्यता : -निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता अनुशंसित है:

शैक्षिक योग्यता	अनुभव	भाषा
कला और वास्तुशिल्प के बारे में जानकारी के साथ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में स्तानक की उपाधि	गाइड को स्मारकों में गाइड का कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।	एक या एक से अधिक भाषाओं में वाक्पटुता होनी चाहिए।
वांछनीयः पर्यटन /होटल मैनेजमेंट में डिग्री	स्मारक अथवा स्मारक समूह में गाइड के रूप में कार्य करने का विशिष्ट अनुभव	अंग्रेजी के साथ-साथ किसी भी विदेशी भाषा का ज्ञान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हित में अथवा मामले में तेजी लाने के लिए किसी विशेष मामले में अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के अनुभव को ध्यान में रखकर शैक्षिक योग्यता में छूट दे सकता है अथवा उन्हें शिथिल कर सकता है।

3.2 आयु सीमा

(क) नए लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

(ख) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक गाइड का लाइसेंस स्वस्थता जांच और संबद्ध गाइड के स्वास्थ्य को प्रमाणित करती हुई एक रिपोर्ट के अध्यधीन किया जाएगा।

3.3 अन्य शर्तें

(क) वह भारत का नागरिक हो।

(ख) उसका पुलिस रिकॉर्ड सही होना चाहिए या उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

(ग) उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध/दंडित नहीं किया गया हो।

(घ) स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दी जानी चाहिए जिसे उस क्षेत्र के स्मारकों के बारे में भली-भांति जानकारी हो।

3.4 अधिवासी प्रमाण

(क) जो अभ्यर्थी गाइड के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें उस पर्यटन स्थल/स्मारक/स्थल की अवस्थिति वाले राज्य का आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ अधिवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) निम्नलिखित को अधिवासिता के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में अनुशंसित किया जाता है:

(i) सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं) द्वारा आवासीय प्रमाण का प्रमाणपत्र

(ii) पासपोर्ट

(iii) मतदाता पहचान पत्र

(iv) राशनकार्ड

4. चयन की प्रक्रिया

4.1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय व्यापक प्रचार किया जाएगा और आवेदनों को भरने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा।

4.2 आवेदनों को खुले विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा जिसमें किसी विशिष्ट स्मारक या स्मारकों के समूह के लिए गाइडों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

4.3 सभी अभ्यर्थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथा निर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने आवेदन पात्रता के प्रमाण के रूप में अपेक्षित सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेंगे और किसी भी मामले में किसी अभ्यर्थी को बाद में प्रमाण के रूप में किसी प्रकार का अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.4 चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल होंगी।

4.5 समस्त प्रक्रिया एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी।

4.6 अभ्यर्थी किन्हीं विशिष्ट स्मारकों या स्मारकों के समूह के लिए एक या एक से अधिक लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकता है। किसी अभ्यर्थी को जारी किए जाने वाले स्मारक विशिष्ट लाइसेंस की अधिकतम संख्या 15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगी और समूह विशिष्ट स्मारकों के संबंध में लाइसेंस की संख्या (5) पांच स्मारक समूहों से अधिक के लिए नहीं होगी। उभय वर्गों में लाइसेंस का जारी होना अन्य वर्ग के लिए लाइसेंस जारी करने में बाधक नहीं होगा।

5. लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा

5.1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन के लिए ली जाने वाली परीक्षा में लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल होंगी।

5.2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखित परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न तैयार करेगा जिससे अभ्यर्थी के सामान्य जागरूकता के अतिरिक्त स्मारकों के इतिहास, वास्तुशिल्प और महत्व से संबंधित ज्ञान की परीक्षा हो सके।

5.3 लिखित परीक्षा अधिक विस्तृत होगी जिससे अभ्यर्थी की क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन हो सके।

5.4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखित और मौखिक परीक्षा लेगा।

5.5 मौखिक परीक्षा एक समिति द्वारा संचालित की जाएगी जिसमें कम से कम तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनमें से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पर्यटन मंत्रालय से एक-एक और अन्य विशेषज्ञ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथाविचारित सही एवं उचित निर्धारण से शामिल होंगे।

5.6 परीक्षा/जांच और मौखिक परीक्षा निर्दिष्ट स्मारकों के साथ-साथ विशिष्ट स्मारक समूहों के लिए भी आयोजित की जाएगी।

5.7 परीक्षा या प्रशिक्षण इस प्रकार आयोजित किये जायेंगे जिससे कोई भी दो परीक्षाएं एक साथ एक ही समय में न हों। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विशिष्ट स्मारक समूह के लिए परीक्षा की तारीख संबंधित विशिष्ट स्मारकों के लिए परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ न पड़े।

5.8 परीक्षा और मौखिक परीक्षा के पूर्ण होने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विशिष्ट स्मारकों और स्मारक समूह के लिए निर्दिष्ट गाइडों हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए योग्यता सूची बनाएगा।

6. प्रशिक्षण

6.1 लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6.2 प्रशिक्षण का उद्देश्य आवश्यक गाइडिंग कुशलता, पर्यटन उत्पादों/पर्यटन स्थल और राज्य से संबंधित पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना और पर्यटन स्थल/विशिष्ट प्रांत और पूरे देश के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक नीतियों आदि से संबंधित सही ज्ञान प्रदान करना है। विस्तृत पाठ्यक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके तैयार किया जाएगा।

6.3 अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि की अनुशंसा इस प्रकार की गई है:-

कक्षा में प्रशिक्षण की अवधि	:	4 सप्ताह
फील्ड प्रशिक्षण की अवधि	:	2 सप्ताह

6.4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके एक प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार करेगा जो स्मारक विशिष्ट होने के साथ-साथ स्मारक समूह विशिष्ट होगा और जिसमें आधारभूत बातें एवं आचार-विचार तथा नियम आदि होंगे।

6.5 स्थान प्रशिक्षण सभी सफल अभ्यर्थियों को उन स्मारकों के बारे में ज्ञान वृद्धि के लिए दिया जायेगा जिस स्मारक के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

6.6 प्रशिक्षण अवधि के दौरान अक्सर सामूहिक चर्चा और रोल प्ले का आयोजन किया जाएगा ताकि उनके पारस्परिक आपसी संबंध स्थापित करने की क्षमताओं में वृद्धि हो।

6.7 प्रशिक्षण के अंत में प्रत्येक अभ्यर्थी को सौंपे गए कार्य से संबंधित अपनी रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

7. गाइड लाइसेंस जारी करना

7.1 गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर सभी अभ्यर्थियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

7.2 लाइसेंस जारी करना : सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपेक्षित कार्य को पूरा करने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 8 (घ) के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

7.3 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक पहचान पत्र तैयार करेगा जो सभी लाइसेंसधारी गाइडों को जारी किया जा सकता है।

8. लाइसेंस के लिए शुल्क : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार गाइडों से शुल्क ले सकता है।

9. लाइसेंस का नवीकरण

9.1 सभी लाइसेंस प्रयोज्य दिशा-निर्देशों तथा/या निबंधन और शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन पांच वर्षों के पश्चात नवीकृत किए जाएंगे।

9.2 लाइसेंस का नवीकरण स्वत: नहीं होगा। किसी लाइसेंस का नवीकरण आवेदक गाइड के साक्षात्कार के बाद किया जाएगा। साक्षात्कार का उद्देश्य यह परीक्षण करना होगा कि संबंधित गाइड ने संबंधित स्मारक के बारे में अपनी जानकारी/ज्ञान का अद्यतन समय के साथ किया है या नहीं। लाइसेंस का नवीकरण करने के इच्छुक आवेदक के विरूद्ध लंबित शिकायतों, यदि कोई हों, पर नवीकरण के समय ध्यान दिया जाएगा। नवीकरण का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

9.3 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिसूचना के अनुसार गाइड लाइसेंस के नवीकरण के लिए शुल्क लेने का हकदार होगा।

10. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाइसेंस का नवीकरण

वर्तमान में सेवा निवृत्ति के लिए कोई निर्दिष्ट आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किसी गाइड को लाइसेंस के नवीकरण से पहले स्वस्थता जांच करवाना होगा और किसी पंजीकृत चिकित्सक (आर एम पी) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वह गाइड के कार्यों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस प्रकार की स्वस्थता जांच और आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना किसी भी गाइड के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

11. लाइसेंस/पहचान पत्र का खोना : लाइसेंस या पहचान पत्र के खोने या चोरी हो जाने की स्थिति में संबंधित गाइड अविलंब इसकी सूचना लिखित में संबंधित प्राधिकारी को देगा और स्थानीय थाने में भी खोने या चोरी की लिखित सूचना देगा।

12. प्रतिरूप लाइसेंस/पहचान पत्र

12.1 लाइसेंस या पहचान पत्र, यथास्थिति, के प्रतिरूप के लिए अभ्यर्थी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विहित प्रपत्र में इस उद्देश्यार्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आवेदन देना होगा।

12.2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लाइसेंस अथवा पहचान पत्र, यथा स्थिति, का प्रतिरूप जारी करने के लिए शुल्क ले सकता है।

12.3 अपेक्षित प्रक्रिया के पूरा होने पर अभ्यर्थी को प्रतिरूप लाइसेंस या पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा जो उसके द्वारा दिए गए आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर किया जाएगा।

13. गाइडों का प्रबंधन

13.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गाइडों की वह संख्या निर्दिष्ट करने और उसे सीमित करने का अधिकार है, जिन्हें किसी विशिष्ट स्मारक अथवा स्मारक समूह में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

13.2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किसी भी स्मारक अथवा स्मारक समूह के संबंध में गाइडों की संख्या को अपेक्षानुसार और विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर अथवा ऐसे किसी भी अन्य कारण या कारणों से आवश्यकतानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथोचित रूप से बदलने, घटाने या बढ़ाने का अधिकार होगा।

13.3 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्मारक के परिसर के भीतर कार्य करने वाले गाइडों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, 'क्या करें' और 'क्या न करें' अनुदेश विनिर्दिष्ट करेगा।

13.4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटकों के हित में और संरक्षित स्मारकों के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व के प्रचार-प्रसार के लिए स्मारकों में गाइड का कार्य करने संबंधी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाई जाने वाली अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा।

13.5 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के क्षेत्र के भीतर गाइडों और गाइड संबंधी कार्यकलापों को विनियमित करने का हकदार होगा।

13.6 मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् को, कदाचार के अधार पर अथवा पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार के अन्य आधार पर अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से अथवा स्मारक तथा पर्यटकों को सुरक्षित बनाए रखने के हित में किसी भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक गाइड को प्रवेश करने से रोकने का अधिकार होगा।

13.7 उपर्युक्त के अलावा, मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् को, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में उल्लिखित आधारों पर किसी भी लाइसेंस को स्थगित करने अथवा रद्द करने की संस्तुति करने का अधिकार होगा।

14. प्रतिक्रिया : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्वयं द्वारा अनुरक्षित/प्रशासित/प्रबंधित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों अथवा स्थलों के भीतर गाइड संबंधी कार्यकलापों पर पर्यटकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु एक तंत्र तैयार करेगा।

15. प्रचार : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण न केवल अपने नियंत्रणाधीन स्मारकों बल्कि गाइड और गाइड संबंधी कार्यकलापों के बारे में सूचना के संबंध में भी पर्याप्त प्रचार करने हेतु हर संभव प्रयास करेगा।

16. शक्तियां : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को समय समय पर, अपेक्षानुसार इस नीति में संशोधन करने, सुधार करने अथवा आशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।

राकेश तिवारी, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey Of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2017

POLICY

Subject: The Policy for Archaeological Survey of India Guides to perform within Centrally Protected Monuments

F.No.33/35/2015-M (Pt.I).— To regulate and administer licences required under Rule 8(d) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 for guides to perform within centrally protected monument for monetary consideration, the Archaeological Survey of India formulates policy on the subject as under:

Introduction & Objectives

Archaeological Survey of India (ASI), under the Ministry of Culture, is the premier organization for the archaeological researches and protection of the cultural heritage of the nation. Maintenance of ancient

monuments and archaeological sites and remains of national importance is the prime concern of the ASI. Besides, it regulates all archaeological activities in the country as per the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and Rules, 1959 with subsequent amendments.

ASI administers and manages 3686 ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance through its 29 Circles and 3 Mini-circles. Being a custodian of centrally protected monuments and responsible to manage all affairs related to protected monuments, the Archaeological Survey of India is mandated to take actions so that activities are taken up in harmony with the provisions of AMASR Act, 1958 and Rules, 1959 made there under.

Guiding involves disseminating knowledge about our cultural heritage among the common masses such as tourists, students or common art lovers who require varying nature of information before and while visiting any place of their choice. The experience acquired with the help of received or gathered information, enrich the knowledge of individual, help one to plan things in advance and ease out one's stay at tourist destinations, which make the tour memorable as a whole.

Tourists may need simple information on subjects like accommodation, transportation, places of interest, market, medical aid, helpline, other offices, etc., besides detailed and authentic information about national monuments. Signages, published literature, electronic media, web world, etc. are flooded with information on varied subjects but ultimately have their own limitations. In spite of having information through various resources, everybody wants to visit his place of interest once in life. While visiting the heritage site, a tourist requires authentic information and for that purpose, a guide appears to be the best medium of communication for providing information on the spot to tourists as per their interest and requirement and oriented according to the queries. Personal interaction is the best medium to disseminate information. So far as centrally protected monuments are concerned, the Guide would play a vital role in disseminating correct and factual information with his knowledge and experience so that the visitor is enriched and enjoys his experience during his visit to the monument in the larger context.

Guiding in Centrally Protected Monuments/sites maintained/administered /managed by the Archaeological Survey of India by charging certain fee from visitor attracts provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959. Rule 8 of the AMASR Rules, 1959 provides prohibition of certain acts within the monument or site. Sub Rule 8(d) of the above rules specifies requirement of a licence from designated authority for Guiding with charging certain fee in the premises of Centrally Protected Monument.

> **Rule 8(d) :** "No person shall within a protected monuments hawk or sell any goods or wares or canvas any custom for such goods or wares or display any advertisement in any form or show a visitor round or take his photograph for monetary consideration, except under the authority of, or under, and in accordance with the conditions of, a licence granted by an archaeological officer"

At present, the above Rule position is under implementation by the ASI and shall be applicable for the purposes of this Policy document.

Further, to facilitate the issuing of guide licence and related affairs, vide notification S.O. 73 (E) dated 21.01.2003, the Additional Director General, Ministry of Tourism, Government of India has been delegated with powers for framing and issuing of guidelines, for issuance of the guide licences, approval and registration of qualified persons selected through due process by a committee constituted for the purpose to operate in the protected monuments of national importance.

That the said delegation is being withdrawn.

2. Scope and effect

2.1 That from now onwards there shall be only one category of guides known as **"ASI Monument**

guide" who would be authorized to work in the centrally protected monuments & sites maintained/administered/managed by the Archaeological Survey of India for which he is licenced. The policy shall be applicable only to such guides who are allowed to work in the centrally protected monuments/sites maintained/ administered/managed by the Archaeological Survey of India having valid licence granted by the Specified Authority as required under Rule 8(d) of the AMASR Rules, 1959.

2.2 The assessment of number of tourist guides for each monument or group of monuments would be determined by the foot fall, growth potential, extent and size of the monuments/group of monuments. The process would be done every five years by the Archaeological Survey of India.

2.3 The licence would be granted to individuals only and not to any firm or association or company or other body corporate, after following due process of selection.

2.4 The Archaeological Survey of India shall be responsible for conducting the tests and work out mechanism for grant of such licences. In so far as Monument Guides operating within the centrally protected monuments are concerned, the various categories of guides who have qualified the test to be conducted under this policy shall only be entitled to operate within the centrally protected monuments.

2.5 This Policy shall acknowledge all licences given to guides working at Fatehpur Sikri, by the Archaeological Survey of India pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India and shall be deemed to have been given under this policy, till fresh licences are issued to such guides in accordance with present policy, which shall not be later than one year from the date of notification of this policy.

Similarly, all guide licences granted by the Additional Director General, Department of Tourism, Ministry of Tourism (GOI) shall be acknowledged and deemed to have been issued under this policy, till fresh licences are issued to such guides in accordance with present policy, which shall not be later than one year from the date of notification of this policy.

Provided that the Archaeological Survey of India shall conduct the necessary examination within the said period of one year.

2.6 Only those Guides who have been issued licences under the present policy or those who are deemed to have been licenced under clause 2.5, subject to the provisions thereof, shall be entitled to act as licenced guide(s) within the Centrally Protected Monuments/sites maintained / administered / managed by the Archaeological Survey of India.

2.7 Subject to clause 2.5, on and after the issuance of Licences by the Archaeological Survey of India under the present policy, all licences issued earlier by any Authority shall become invalid and will not entitle any person to act as Guides in the Centrally Protected Monuments or monuments & sites maintained / administered / managed by the Archaeological Survey of India.

2.8 Date of Effect : the policy shall come into the force from the date on which it is formally notified by the ASI. It shall not have retrospective effect.

3. Selection criterion

3.1 Educational Qualification: following qualification is recommended.

Educational qualification	Experience	Language
Bachelor Degree (Ancient History, Medieval history,	Guide should have sufficient experience in guiding at	He should have fluency in one or more languages.

Modern history, with knowledge of art and architecture)	monuments.	
Desirable : Degree in tourism / hotel management	Specific experience of guiding in the monument or group of monument.	Knowledge of a foreign language in addition to English.

The Archaeological Survey of India may in the interest and expediency exempt or relax the educational qualifications taking into consideration the experience possessed by a candidate/s in the given case.

3.2 Age Limit.

(a) The Individual should be of minimum 21 years of age at the time of submission of application for a fresh licence.

(b) The licence of an ASI monument guide, who has attained 60 years of age, shall thereafter be renewed subject to medical fitness test and a report certifying the fitness of the concerned guide.

3.3 Other conditions.

(a) He should be a citizen of India.
(b) He should have clean Police record or should not have any criminal case pending against him/her.
(c) He should not have been convicted / penalized in the past.
(d) Preference may be given to local candidate who is well versed with the monuments of that area.

3.4. Domicile Proof

(a) Candidates who wish to work as Guides will have to submit their residence proof of the State in which the tourist destination / monument / site is situated.
(b) Candidates have to submit the proof of Domicile with the application.
(c) The following are recommended as documentary proof for Domicile:

(i) Certificate of proof of Residence by the competent authority (not below the rank of Tehsildar).
(ii) Passport.
(iii) Voter Identity Card.
(iv) Ration Card.

4. Process of selection.

4.1 Wide publicity shall be given while inviting applications for grant of licence and sufficient time shall be given for filling up of applications.

4.2 The applications shall be invited through open advertisement specifying the number of guides with respect to specific monument or group of monuments.

4.3 Individuals shall submit their application(s) in the prescribed Form, as specified by the Archaeological Survey of India along with photocopies of all documents required as proof of their

eligibility and in no case applicants shall be allowed to submit any additional document/s as such proof at a later stage.

4.4 The process of selection shall comprise written test and viva voce.

4.5 The entire process shall be conducted in a fair and transparent manner.

4.6 Individual may apply for one or more licences in respect of specific monuments or group of monuments. The maximum number of monument specific licences which may be issued to a person shall not be more than 15 (fifteen) and in respect of group specific monuments the licences to be issued shall not exceed 5(five) groups of monuments. Issuance of either category of licence shall not be a bar for issuance of licence in the other category.

5. Written Test and Viva Voce

5.1 Examination for selection of required numbers of candidates for grant of licence shall consist of written Test and Viva Voce.

5.2 Archaeological Survey of India shall formulate written test with a view to testing the knowledge of candidate on history, architecture and significance of monuments in addition to general awareness.

5.3 The written examination shall be more elaborate so that caliber and ability of the candidate is well represented.

5.4 Archaeological Survey of India shall take written test and Viva Voce.

5.5 The Viva Voce shall be conducted by a committee comprising not less than three experts, one each from Archaeological Survey of India and Ministry of Tourism and another expert(s) as Archaeological Survey of India may deem fit and proper.

5.6. Examinations/tests and viva voce shall be held in respect of both specific monuments as well as group specific monuments.

5.7 Test or training shall be organized in such a manner that no two tests overlap with each other. It shall be ensured that the dates of tests for group specific monuments shall not clash with the dates for the tests concerning specific monuments.

5.8 On completion of test and viva-voce, ASI shall draw a merit list for grant of licences for monument specific and group of monuments specific guides.

6 Training

6.1 All candidates found successful after written test and viva voce shall be given training.

6.2 Objective of the training should be to impart knowledge of essential guiding skills, tourism products/ aspects of the destination & state, and fair knowledge of social, political and economic policies etc., of the destination/ region in specific and entire country in general. The detailed syllabi would be laid down by the Archaeological Survey of India in consultation with the Ministry of Tourism, GOI.

6.3 The duration of the Training to candidates is recommended as under:

Duration of class room training	:	4 weeks
Duration of field training	:	2 weeks

6.4 Archaeological Survey of India shall design a training module- monument specific as well as group of monument specifics, basics and ethics, rules, etc., in consultation with the Ministry

of Tourism, GOI.

6.5 The field training would be given to all successful candidates to enrich their knowledge to cover monument(s) for which the licence is granted.

6.6 During the training course frequent group discussions & role plays shall be arranged to improve their interactive and relational abilities.

6.7 At the end of training each candidate shall submit a report on the given assignment for valuation.

7. Issuance of guide licence.

7.1 On completion of guide training course, certificate to all candidates would be issued by Archaeological Survey of India.

7.2 Issue of licence: successful candidates after going through training and completion of required assignment shall be given licence by the Archaeological Survey of India under Rule 8 (d) of AMASR Rules, 1959.

7.3 Archaeological Survey of India may design an ID card to be issued to all guides with licence.

8. Fee for licence : Archaeological Survey of India may charge fee from guides as notified from time to time.

9. Renewal of licence:

9.1 Every licence shall be renewed after five years subject to applicable guidelines and/ or terms and conditions, if any.

9.2 The renewal of licence shall not be automatic. A licence shall be renewed after an interview of the applicant guide. The interview shall aim to test whether the concerned guide has updated his information/knowledge about the concerned monument or not in keeping with passage of time. Pending complaints, if any, against that applicant who intends to renew his licence shall be taken into account at the time of renewal. Renewal cannot be claimed as a matter of right.

9.3 Archaeological Survey of India shall be entitled to charge a fee for renewal of guide licence, asshall be notified.

10. Renewal of licence upon attaining 60 years:

Presently no specific age of retirement is being specified. However, after attaining the age of 60 years, a guide shall have to undergo a Medical Fitness test and obtain a certificate from a Registered Medical Practitioner (RMP) certifying that he is both physically and mentally fit for duties of a guide, before renewal of licence. No renewal of licence of a guide who has attained the age of 60 years shall be granted without such fitness test and the necessary medical certificate.

11. Loss of licence/ID : In case of loss or theft of licence or ID, the concerned guide shall immediately inform the concerned authority in writing and also give written information of such loss or theft to local police station.

12. Duplicate licence/ID:

12.1 For Duplicate licence or ID card, as the case may be, the candidate shall make an application to the Archaeological Survey of India for the purpose in the format as specified by the ASI.

12.2 Archaeological Survey of India may charge a fee for issue of duplicate licence or ID card as the case may be

12.3 After completing the required process, duplicate licence or ID card shall be issued to the candidate, which shall not be later than 30 days from the date of his application.

13. Management of Guides.

13.1 Archaeological Survey of India reserves the right to specify and restrict the total number of guides who may be permitted to operate in a specific monument or a group of monuments.

13.2 Archaeological Survey of India reserves the right to vary, reduce or increase the number of guides with respect to any monument or group of monuments as may be required and deemed fit by ASI depending upon change of attending circumstances or for any other reason or reasons, necessitating such variance in the number of operating as ASI Monument Guides.

13.3 Archaeological Survey of India shall specify detailed guidelines, dos and don'ts for the guides within premises of the monument.

13.4 Archaeological Survey of India shall specify other required conditions to be followed or imposed for smooth functioning of the guiding system in monuments in the interest of tourists and propagation of historical and archaeological significance of the protected monuments.

13.5 Archaeological Survey of India shall be entitled to regulate the functioning of guides and guiding activities within the area of monuments of national importance.

13.6 The Superintending Archaeologist of a Circle shall have the right to bar the entry of any ASI Monument Guide on grounds of misconduct or other grounds of misbehavior with tourists or any other like reason or in the interest of safeguarding the welfare of the monument and the tourists.

13.7 In addition to the above, the Superintending Archaeologist of the Circle shall have the right to recommend suspension or cancellation of a licence on the grounds as mentioned in the preceding paragraph.

14. Feedback: ASI shall put in place a mechanism to collect feedback from visitors on guiding activities within the centrally protected monuments or sites maintained / administered / managed by the Archaeological Survey of India.

15. Publicity: ASI shall take all steps for making adequate publicity not only concerning the monuments under its protection but also the information about guide and guide activities.

16. **Powers:** ASI reserves the right to amend, alter or modify this policy as may be required from time to time.

RAKESH TEWARI, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.02 15:40:28 +05'30'